बिल का सारांश

हिमाचल प्रदेश निरसन बिल, 2023

- हिमाचल प्रदेश निरसन बिल, 2023 को 20 सितंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। बिल में 13 कानूनों को निरस्त करने का प्रयास किया गया है जो अप्रचलित और अनावश्यक हो गए हैं।
- **कानूनों का निरसन**: बिल की अनुसूची में निरस्त किए जाने वाले 13 कानूनों की सूची है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल एक्ट, 2003, (ii) हिमाचल प्रदेश निजी वन एक्ट, 1954, (iii) पंजाब श्रम कल्याण निधि एक्ट, 1965, और (iv) हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण और वन आधारित आवश्यक वस्तु आपूर्ति एक्ट, 1984। यह बिल स्वतंत्रता से पहले के कुछ कानूनों को भी निरस्त करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कृषि ऋण एक्ट, 1884, और (ii) प्रांतीय लघु वाद न्यायालय एक्ट, 1887।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अलाया पूरेवाल
alaya@prsindia.org

13 अक्टूबर, 2023